न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /2018 पुनरीक्षण
निगरानी – 3540/2018/सागर/भू.रा

श्रीमती शांति बाई पुत्री गरीबे पत्नी उत्तमचंद निवासी ग्राम जलंधर तहसील राहतगढ़ जिला सागर (म.प्र.)

...... आवेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभि. द्वारा आज दि. 8-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमती हरी बाई पुत्री गरीबे पत्नी अमर सिंह निवासी ग्राम पीपलखेड़ी तह. राहतगढ जिला सागर
2. श्रीमती फूलाबाई पत्नी गरीबे
3. गोविंद 4. नदराम पुत्रगण गरीबे
5. खिलान पुत्र गरीबे

निवासीगण ग्राम जलंधर तहसील राहतगढ जिला सागर (म.प्र.)

मुकेश भार्गव
एडवोकेट
08-6-18
ग्वालियर

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ जिला सागर (म.प्र.) द्वारा रा.प्र.कं. 5–अ–27 वर्ष 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 27.4.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार प्रस्तुत है –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3540/2018/सागर/भू.रा. शांतिबाई विरूद्ध हरीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-06-2018	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिया गया आदेश निम्नानुसार है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण गुण दोषों के आधार पर किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का जो कारण बताया गया है । समाधान कारक है । अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील समयावधि अधिनियम की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 27.6.18 रीडर	